न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक १२०९/एक/१५ विरूध्द आदेश दिनांक २१/५/२०१५ पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, बल्देवगढ के प्रकरण क्रमांक ५०/अपील/१३-१४

गोविन्द सिंह पुत्र श्री देव सिंह
निवासी ग्राम मातौल तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ

- आवेदक

-- विरूध्द -

श्रीबाई पुत्री इमरत सिंह
निवासी ग्राम मातौल तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ

- अनावेदक

श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदक
श्री ओ0 पी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

आ दे श

(आज दिनांक 10.3.2016 को पारित)

१. यह निगरानी प्र क्र १२०९/एक/१५ रा.मं. में म0 प्र0 भू'राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा ५० के अंतर्गत

अनुविभागीय अधिकारी, बल्देवगढ के प्र क्र ५०/अपील/२०१३-१४ में पारित आदेश दि २१-५-१५ के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

२) प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है.

अनु अधि, बल्देवगढ़ के समक्ष तहसीलदार, खरगपुर के प्र क्र २४/अ-६/१२-१३ में पारित आदेश दि ३०-७-१३ के विरुद्ध अपील दि २६-१२-१३ को, ४ माह २६ दिन के उपरांत प्रस्तुत हुई. अनु अधि ने आक्षेपित आदेश से अपील के प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को माफ़ कर दिया. इसके विरुद्ध यह निगरानी रा मं में संस्थित हुई.

३) मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रकरण में तर्क सुनें.

निगराकार अधिवक्ता ने तर्क में कहा कि मृतक अजबबाई की दो वसीयतों को लेकर प्रकरण में विवाद है - एक वसीयत दि ९-११-१२ गैरनिगराकार के पक्ष में और दूसरी वसीयत दि २१-११-१२ निगराकार के पक्ष में. तहसीलदार ने आदेश दि ३०-७-१३ से निगराकार के पक्ष में हुई वसीयत के आधार पर नामांतरण किये जाने का निर्णय लिया. इसकी गैरनिगराकार ने अनु अधि के समक्ष अपील की, जिसमें अनु अधि ने गलत तरीके से विलम्ब को माफ़ किया, जो निर्णय उनके अनुसार निरस्त किया जाना चाहिए.

गैरनिगराकार अधिवक्ता का तर्क था कि निगराकार का वसीयतकर्ता से कोई सम्बन्ध नहीं है जबकि गैरनिगराकार उसकी बहन है, ऐसे में निगाराकार के पक्ष में वसीयत होना संभव नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि तहसील के आदेश की उन्हें जानकारी विलम्ब से मिली जिस वजह से उन्हें अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुस, जिसे माफ़ करके अनु अधि ने सही निर्णय ही लिया है.

४) तर्कों के प्रकाश में मैंने अभिलेख का परीक्षण किया.

अनु अधि के आक्षेपित आदेश दि २१-५-१५ के परिशीलन करने से मैं पाता हूँ कि उन्होंने (एक) मूल प्रकरण के आदेश पर दोनों में से किसी भी पक्ष के हस्ताक्षर नहीं पाने और अपीलार्थी (गैरनिगराकार) के तर्क सुनने के बाद अपीलार्थी को आदेश की जानकारी ना होना संभव होना पाया है, और (दो) अपील के प्रस्तुतुइकरन में अत्यधिक विलम्ब नहीं होना पाया है, इन आधारों पर विलम्ब माफ़ किया है.

अनु अधि के समक्ष गैरनिगराकार द्वारा प्रस्तुत धारा ५ के आवेदन में यह लिखा है कि वह ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला है, प्रश्नगत आदेश हेतु पेशी नियत होने बाबत उसे जानकारी नहीं रही, ग्राम में चर्चा होने पर दि १३-१२-१३ को उक्त आदेश की उसे पटवारी से जानकारी मिली, जिसके बाद दि १८-१२-१३ को आदेश की प्रतिलिपि मिलने पर उसने धनराशी की व्यवस्था की और अभिभाषक की सलाह लेते हुए दि २६-१२-१३ को यथाशीघ्र अपील प्रस्तुत कर दी.

५) उपरोक्त तथ्यों, तर्कों और अभिलेखों के प्रकाश में और आधार पर मैं अनु अधि के आक्षेपित आदेश से विलम्ब माफ़ी के निर्णय को सही एवं न्यायसंगत पाता हूँ, जिसके परिणामस्वरूप वे अपने न्यायालय के अपीलीय प्रकरण में गुणदोष पर विचार कर न्यायपूर्ण निर्णय ले पाएंगे. वैसे भी अनु अधि के इस आक्षेपित आदेश के उपरांत उभयपक्ष को अभी अनु अधि के समक्ष अपना अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर उपलब्ध है जिसका वे लाभ ले सकते हैं.

अतः, मैं अनु अधि के आक्षेपित आदेश दि २१-५-१५ में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता और उसे यथावत रखता हूँ. यह निगरानी अस्वीकार करता हूँ.

आदेश पारित.
पक्षकार सूचित हों.
प्रकरण समाप्त.
दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर